नगर निगम करनाल

नगर निगम, करनाल के तहत आने वाले गाँव कम्बोपुरा व शिव कॉलोनी में स्थित सामुदायिक केन्द्रों को दो वर्ष के लिए किराये पर देने हेतू नियम व शर्तें

1. नगर निगम, करनाल के तहत आने वाले गाँव कम्बोपुरा व शिव कॉलोनी में स्थित सामुदायिक केन्द्रों की बोली के लिए रिजर्व किराया 6.00 लाख रूपये निर्धारित किया गया है अर्थात् बोली 6.00 लाखरूपये से आरम्भ की जाएगी तथा अधिकतम बोली देने वाले व्यक्ति को संबंधित सामुदायिक केन्द्र किराये पर दिया जाएगा।
2. इच्छुक बोलीदाता द्वारा जो बोली दी जाएगी उसमें सी.जी.एस.टी. व एस.जी.एस.टी. अलग से अदा करना होगा।
3. सामुदायिक केन्द्रों को दो वर्षों की समयाविध के लिए किराये पर दिया जाएगा जिसकी किराया अवधि अलॉटमैन्ट पत्र जारी होने की तिथि से वैध होगी।
4. नगर निगम, करनाल द्वारा उक्त सामुदायिक केन्द्रों की बुकिंग के लिए बुकिंग राशी निम्न अनुसार निर्धारित की गई है:—

क्रमांक	सामुदायिक केन्द्र	बुकिंग राशी		
		नगर निगम, करनाल के किसी भी क्षेत्र का निवासी जिसकी परिवार पहचान पत्र (PPP) में आय 1.80 लाख रूपये से कम हो। (विवाह, विवाह से संबंधित सभी कार्य तथा जन्मदिन आदि सभी कार्यक्रमों के लिए)	सभी सामान्य व्यक्ति जिसकी परिवार पहचान पत्र (PPP) में आय 1.80 लाख रूपये से अधिक हो। (विवाह, विवाह से संबंधित सभी कार्य तथा जन्मदिन आदि सभी कार्यक्रमों के लिए)	शोकसभा व ग्राम/क्षेत्र के सामुहिक कार्यक्रमों के लिए
1	गाँव कम्बोपुरा में स्थित सामुदायिक केन्द्र	**Rs. 21,000/-**	**Rs. 31,000/-**	**Rs. 5,000/-**
2	शिव कॉलोनी स्थित सामुदायिक केन्द्र	**Rs. 10,000/-**	**Rs. 15,000/-**	**Rs. 5,000/-**
नोटः परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज सदस्यों में से यदि किसी सदस्य का विवाह अथवा अन्य कार्यक्रम है तभी उसके नाम PPP आधार पर कम की गई बुकिंग राशी अनुसार बुकिंग की जाएगी जिसके लिए बुकिंगकर्ता को परिवार पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। उपरोक्त बुकिंग राशी में सी.जी.एस.टी. व एस. जी.एस.टी. अतिरिक्त होगा व 500/— रूपये का सॉलिड वेस्ट चार्ज अलग से लिया जाएगा।				

5. बोली देने से पूर्व इच्छुक बोलीदाता को 2.00 लाख रूपये की धरोहर राशी डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में बोली से एक दिन पूर्व नगर निगम, करनाल में जमा करवानी होगी जोकि आयुक्त, नगर निगम, करनाल (***Commissioner, Municipal Corporation, Karnal***) को देय होगा। सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशी किराये की अवधि समाप्ति अर्थात् दो वर्ष तक के लिए नगर निगम, करनाल के पास जमा रहेगी जिसे किराये की अवधि समाप्त होने उपरांत बिना किसी ब्याज के लौटा दिया जाएगा। प्रथम व द्वितीय अधिकतम बोलीदाताओं को छोड़कर शेष सभी असफल बोलीदाताओं को उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट बोली समाप्ति उपरांत ही वापिस लौटा दिए जाऐंगे।
6. उपरोक्त सामुदायिक केन्द्र जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में किराये पर दिए जाऐंगे तथा किराये की अवधि समाप्त होने उपरांत उसी स्थिति में वापिस लिए जाऐंगे। इच्छुक बोलीदाता बोली से पूर्व संबंधित सामुदायिक केन्द्रों का मौका मुआयना करके मौका की स्थिति अनुसार बोली देंगे। यदि कब्जा वापिस लेते समय सामुदायिक केन्द्रों में कोई टूट—फूट/हानि पाई गई तो उसकी भरपाई सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशी से की जाएगी।

7. यदि सफल बोलीदाता अलॉटमैन्ट के 15 दिन के अन्दर–अन्दर डिमाण्ड की गई किराये की राशी एडवांस रूप में नगर निगम, करनाल में जमा करवाने में विफल रहता है अथवा कार्य करने से मना करता है तो उसकी 2.00 लाख रूपये की धरोहर राशी जब्त करके अलॉटमैन्ट रद्द कर दी जाएगी तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को अलॉटमैन्ट ऑफर की जाएगी। यदि द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा भी 15 दिन के अन्दर–अन्दर डिमाण्ड की गई किराये की राशी एडवांस रूप में नगर निगम, करनाल में जमा करवाने में विफल रहता है अथवा कार्य करने से मना करता है तो उस स्थिति में द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा भी जमा करवाई गई 2.00 लाख रूपये की धरोहर राशी जब्त कर ली जाएगी।
8. उपरोक्त सामुदायिक केन्द्रों की बुकिंग *"पहले आओ पहले पाओ"* के आधार पर की जाएगी।
9. बुकिंग की प्रक्रिया नगर निगम, करनाल द्वारा अपने स्तर पर की जाएगी जिसके लिए बुकिंग करवाने वाली पार्टी को नगर निगम, करनाल द्वारा टोकन जारी किया जाएगा जिसकी वैधता केवल 72 घण्टे की होगी अर्थात् संबंधित पार्टी 72 घण्टे के अन्दर–अन्दर सामुदायिक केन्द्र में जाकर ठेकेदार के पास पैसे जमा करवाएगी। पैसे जमा करने उपरांत ठेकेदार उसी टोकन पर अपनी बुकिंग कन्फर्म की स्टैम्प लगाकर पार्टी को टोकन वापिस देगा तथा पार्टी वह टोकन नगर निगम, करनाल में वापिस जमा करवाएगी। उसके उपरांत ही बुकिंग को कन्फर्म समझा जाएगा।
10. बुकिंग की समयावधि 24 घण्टे की होगी जो प्रातः 8:00 बजे से अगले दिन प्रातः 7:00 बजे तक वैध होगी।
11. सफल बोलीदाता द्वारा जो बोली दी जाएगी वह प्रतिवर्ष की दर से दी जाएगी जिसकी किराया अवधि अलॉटमैन्ट पत्र जारी होने की तिथि से वैध होगी। द्वितीय वर्ष आरम्भ होने पर प्रथम वर्ष की ठेका राशी में 10 प्रतिशत राशी की बढ़ौतरी की जाएगी।
12. सफल बोलीदाता कुल बोली मूल्य की राशी चार तिमाही किश्तों में एडवांस के रूप में नगर निगम, करनाल में जमा करवाने का पाबन्द होगा तथा पहली तिमाही किश्त की राशी अलॉटमैन्ट की तिथि से 10 दिन के अन्दर–अन्दर जमा करवानी होगी। किश्त देरी से जमा करवाने की सूरत में 12 प्रतिशत ब्याज चार्ज किया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता लगातार दो किश्तें जमा करवाने में विफल रहता है तो उस सूरत में उसे सात दिन का नोटिस जारी करने उपरांत पहले से जमा करवाई गई 2.00 लाख रूपये की धरोहर राशी को जब्त करते हुए बोली रद्द कर दी जाएगी तथा नगर निगम, करनाल द्वारा संबंधित सामुदायिक केन्द्र का कब्जा अपने अधीन ले लिया जाएगा।
13. यदि भविष्य में सरकार द्वारा सामुदायिक केन्द्रों की बुकिंग के लिए कोई ऑनलाईन पोर्टल लांच किया जाता है तो उस स्थिति में भी बुकिंग का अधिकार केवल नगर निगम, करनाल को होगा। सफल बोलीदाता को अपने स्तर पर ऑफलाईन बुकिंग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
14. सफल बोलीदाता को अपने स्तर पर केवल सात दिन की बुकिंग करने का अधिकार होगा अर्थात् यदि सात दिनों तक कोई बुकिंग नगर निगम, करनाल में प्राप्त नहीं होती है तो उन सात दिनों की बुकिंग सफल बोलीदाता अपने स्तर पर कर सकता है।
15. सफल बोलीदाता प्राप्त हुई बुकिंग राशी से ही संबंधित सामुदायिक केन्द्रों की मैन्टेनैन्स व रखरखाव का कार्य करेगा तथा संबंधित सामुदायिक केन्द्र में ***24 x 7*** एक चौकीदार नियुक्त करेगा जो सामुदायिक केन्द्र में रहकर इसकी देखरेख आदि करेगा व चौकीदारी का कार्य भी करेगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम, करनाल द्वारा बोलीदाता को कोई राशी नहीं दी जाएगी।

16. सफल बोलीदाता को सामुदायिक केन्द्रों के लॉन में लगी घास आदि की उचित तरीके से देखभाल करनी होगी तथा मौसम अनुसार फूलों व सजावटी पौधे लगाने होंगे।

17. सफल बोलीदाता बुकिंग करवाने वाली पार्टी से 30,000/– रूपये की धरोहर राशी अपने पास जमा करवाएगा क्योंकि यदि कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक केन्द्रों के स्ट्रक्चर को कोई हानि अथवा टूट–फूट आदि होती है या किसी भी सक्षम अधिकारी/कोर्ट द्वारा डी.जे. आदि के संचालन बारे उल्लंघना की स्थिति में चालान किया जाता है तो उस धरोहर राशी से इसकी भरपाई की जा सके। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं आती है तो यह धरोहर राशी ठेकेदार द्वारा विवाह आदि कार्यक्रम समाप्त होने उपरांत अपने स्तर पर ही बुकिंग करवाने वाली पार्टी को रिफ़ण्ड की जाएगी।

18. केटरिंग, डैकोरेशन व खान–पान आदि की व्यवस्था के लिए ठेकेदार अपने स्तर पर बुकिंगकर्ता से तालमेल/मोलभाव करके आवश्यकतानुसार पैसे चार्ज कर सकता है किन्तु सफल बोलीदाता बुकिंगकर्ता को केवल उसकी केटरिंग, डैकोरेशन व खान–पान की बुकिंग करवाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। बुकिंगकर्ता बाहर से किसी अन्य फर्म से भी उपरोक्त व्यवस्थाएं करवा सकता है जिस पर सफल बोलीदाता को कोई ऐतराज़ नहीं होगा।

19. यदि उक्त सामुदायिक केन्द्रों में नगर निगम, करनाल द्वारा कमरे व फर्नीचर उपलब्ध करवाए हुए हैं तो उनके लिए सफल बोलीदाता बुकिंग राशी के अतिरिक्त कोई राशी चार्ज नहीं करेगा।

20. सफल बोलीदाता अपने स्तर पर सामुदायिक केन्द्रों के नाम में बदलाव नहीं करेगा तथा ना ही सामुदायिक केन्द्रों पर कोई बैंक्वेट हॉल आदि का बोर्ड लगाएगा। इसके अतिरिक्त सफल बोलीदाता नगर निगम, करनाल की अनुमति के बिना ना तो सामुदायिक केन्द्रों में स्थाई स्ट्रक्चर/गोदाम बनाएगा तथा ना ही सामुदायिक केन्द्रों को गोदाम आदि उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं लाएगा व ना ही टैन्ट आदि को धोने का कार्य सामुदायिक केन्द्रों में करेगा।

21. सामुदायिक केन्द्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के उपरांत एकत्रित कूड़ा–कचरा आदि नगर निगम, करनाल की कूड़े वाली गाड़ियों द्वारा उठा दिया जाएगा किन्तु सफल बोलीदाता को अपने स्तर पर कूड़े को अलग–अलग एकत्रित करने के लिए सामुदायिक केन्द्र में बड़े डस्टबिन लगाने होंगे। समारोह समाप्त होने उपरांत सामुदायिक केन्द्रों में पूर्ण रूप से सफाई करवाने तथा कूड़े का निष्पादन सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतोंनुसार करवाने की जिम्मेवारी सफल बोलीदाता की होगी।

22. यदि नगर निगम, करनाल द्वारा कोई राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया जाना है तथा सामुदायिक केन्द्र उस तिथि के लिए खाली हैं तो नगर निगम, करनाल उक्त सामुदायिक केन्द्रों में अपने स्तर पर वह कार्यक्रम आयोजित कर सकता है।

23. सामुदायिक केन्द्रों में जो बिजली, सीवरेज व पानी के कनैक्शन लगे हुए हैं उनके बिलों की अदायगी सफल बोलीदाता समय पर करने का पाबन्द होगा। यदि बोलीदाता बिल की अदायगी समय पर करने मे विफल रहता है तथा उस स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा जो भी जुर्माना लगाया जाता है उसकी अदायगी सफल बोलीदाता संबंधित विभाग को करने का पाबन्द रहेगा।

24. सफल बोलीदाता को बिना अनुमति के सामुदायिक केन्द्रों में किसी प्रकार की फेरबदल करने का अधिकार नहीं होगा। यदि बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार का फेरबदल किया जाता है तो नगर निगम, करनाल को किरायानामा रद्द करने व संबंधित सामुदायिक केन्द्र का कब्जा लेने का पूर्ण अधिकार होगा। उल्लंघना की स्थिति में सफल बोलीदाता से जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।

25. सफल बोलीदाता को नगर निगम, करनाल के नियम व शर्तों बारे नगर निगम, करनाल के साथ 100/– रूपये के गैर–न्यायिक स्टैम्प पेपर पर किराएनामें का इकरारनामा सम्पन्न करना होगा।

26. बोलीदाता को अपने खर्च पर फर्नीचर आदि की व्यवस्था करनी होगी तथा किराये की अवधि समाप्त होने पर भवन को जैसी हालत में दिया जा रहा है उसी हालत में नगर निगम, करनाल को सौंपना होगा। यदि भवन में कोई भी नुक्सान पाया गया तो उसकी भरपाई बोलीदाता की जमा धरोहर राशी से कर ली जाएगी। यदि बोलीदाता किसी कारणवश सामुदायिक केन्द्र की किरायेदारी के इकरारनामें को बीच में समाप्त करता है तो उसे दो माह पूर्व नगर निगम, करनाल को लिखित में सूचना देनी होगी। बीच में किरायेदारी समाप्त करने की स्थिति में बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई 2.00 लाख रूपये की धरोहर राशी जब्त कर ली जाएगी।

27. बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर की गई सभी बुकिंगों का ब्यौरा लिखित रूप में रखा जाएगा। नगर निगम, करनाल को किसी भी समय किसी भी बुकिंग को चैक करने का पूर्ण अधिकार होगा।

28. समारोह के समय सामुदायिक केन्द्रों में जो भी वाहन आऐंगे उन्हें पार्किंग में सुनियोजित ढंग से खड़ा करवाने की जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी व समारोह में आने वाले वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी सफल बोलीदाता की होगी। किसी भी गाड़ी या वाहन की चोरी अथवा नुक्सान आदि की स्थिति में नगर निगम, करनाल की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

29. सामुदायिक केन्द्रों में समारोह के दौरान डी.जे. का प्रयोग माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने उपरांत ही करना होगा। उल्लंघना की स्थिति में किसी भी सक्षम कोर्ट या अधिकारी द्वारा किए गए चालान आदि के भुगतान के लिए सफल बोलदाता स्वयं जिम्मेवार होगा।

30. नगर निगम, करनाल को किसी भी आपात स्थिति में यदि सामुदायिक केन्द्रों की आवश्यकता हुई तो उस स्थिति में किराये की अवधि समाप्त होने से पूर्व किरायेदारी को रद्द करने अथवा किरायेदारी को आगामी समय तक बढ़ाने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, नगर निगम, करनाल का होगा।

31. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम, करनाल का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

आयुक्त,
नगर निगम, करनाल।